

2022/4

कार्यालय तहसीलदार गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनु राज.

30/9/22
21/10/22
कार्यालय
तहसीलदार

1A
किया
काम

सरकार V/S महावीर उर्फ मानाराम जाति काट बिवासी हल्का
काट श्री हल्कील गुढा जिला झुन्झुनु (राज)

किस्म मुकदात अधा.91 रा.भू.रा. अधि. 1956 प्र.स. 25 / 2022

रिपोर्ट प.ह. काट वेदरा ने इस आशय की पेश की कि सवंत 2079 में ग्राम काट बिवासी
के भूमि ख.न. 358 कुल रकबा 0.0144 है. किस्म क.प्र.यात्र में से रकबा 0.0144
है पर श्री महावीर पुत्र मानाराम जाति काट निवासी काट वेदरा ने अवैध
फसल काशत कर अतिक्रमण कर रखा है। रिपोर्ट पटवारी हल्का काट वेदरा प्राप्त होने पर
प्रकरण रा. भू० रा. अधि. 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस
तलबी अतिक्रमी की जावे तथा फसल काशत/सामाग्री को राजहक के कुर्क कर निलाम करने हेतु
भू. अ. निरीक्षक वृत्त गुढा गौड़जी को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15/9/22 को पेश
हो।

380
7/9/22

[Signature]
तहसीलदार गुढा गौड़जी

15/9/22

पत्रावली पेश की। अतिक्रमी अडवा 242 हल्का काट वेदरा
दस्तावेज पेश किए हैं जो शामिल किसान रत्नाकर
242 हल्का काट वेदरा जिला झुन्झुनु / प्र.स. (लाज)
पत्र जारी है। पत्रावली वाले फर्द डंड दिनांक
30.9.2022 का पेश है।

[Signature]
तहसीलदार गुढा गौड़जी

उपरोक्त

30/9/22

पत्रावली पेश की। अतिक्रमी अडवा 242 हल्का काट वेदरा
पालका अडवा/प्र.स. (लाज) पत्र जारी है। पत्रावली
वाले फर्द डंड दिनांक 21.10.22 का पेश है।

21/10/22

पत्रावली पेश की। अतिक्रमी अडवा 242 हल्का काट वेदरा
कुकी व जिला प्र.स. (लाज) पत्र जारी है। जिला प्र.स. (लाज) की अडवा
रावा मारत।

[Signature]
तहसीलदार गुढा गौड़जी



तलबी अतिक्रमी की जावे तथा फसल काश्त/सामग्री को राजहक के कुर्क कर निलाम करने हेतु

भू. अ. निरीक्षक वृत्त गुदागौड़ी को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15/9/22 का पेश

हो।

~~तहसीलदार गुदागौड़ी~~

अ. 15/9/22

15/9/22

पत्रावली पेश है। अतिक्रमी अड्डा नो. 15/9/22 का नोटिस ब्यावधान
दस्तावेज पेश किए हैं जो शामिल किये गए हैं।
2. 12 है फसल कुर्क कर तिलामी अड्डा / 50 : 1/2 का
पत्र जारी है। पत्रावली वाले फसल हेतु दिनांक
30.9.2022 का पेश है।

तहसीलदार गुदागौड़ी

30/9/22


पत्रावली पेश है। अतिक्रमी अड्डा नो. 30/9/22 का नोटिस
पालका अड्डा / 50 : 1/2 का पत्र जारी है। पत्रावली
वाले फसल हेतु दिनांक 21.10.22 का पेश है।

तहसीलदार गुदागौड़ी

21/10/22

पत्रावली पेश है। अतिक्रमी अड्डा नो. 21/10/22 का नोटिस
कुर्क कर तिलामी अड्डा / 50 : 1/2 का पत्र जारी है।
रखे जावे। एकीकृत तिलामी राशि राजकाश के अन्तर्गत
हेतु गिरफ्तार हलका को लिखा जावे। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। यह प्रमाण न्यायालय राजकाश
अपील अधिकारी सीकर केन्द्र कलकत्ता में विचारार्थ
दोनों पत्रों के उच्च न्यायालय द्वारा अंकन वकू की है।

करीब कारवाही नही होगी है तब तक कारवाही
लथगित रही कलिये पत्रावली इन्ज नमालि
के आदेश पाक होने पर कु: पेश हो पत्रावली
नम्बर ले कर ही।


तहसीलदार मुढा गाँवजी